न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 111/2018

1 सोहनलाल पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार पेशा मजदूरी निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 रामकुवार पुत्र भगवाना।
2 चिरंजीलाल पुत्र भगवाना।
3 ओमप्रकाश पुत्र भगवाना।
4 जगदीश पुत्र भगवाना।
5 बनारसी पत्नी भगवाना समस्त जाति कुम्हार निवासीगण जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 शीशराम पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 सांवतराम सैनी पुत्र उमराव जाति माली निवासी नाथा की नांगल।
8 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 12.06.2018
उनवानी सोहनलाल बनाम रामकुमार वगैरह न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मु. नं. 59/2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री धीरज कुमार बॉयल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 147,218,353 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दिनांक 18.12.2017 को आदेशिका में 23.03.2018 नियत की गई थी। जिसके उपरान्त दिनांक 18.06.2018 नियत की गई इस तिथि से पूर्व ही विचारण न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर खारिज कर दी। इसकी कोई सूचना अपीलांट को नही दी गई। बिना सुने विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वाद वादी इस आधार पर खारिज किया है कि जमाबन्दी संवत 2071 से 74 ग्राम जोधपुरा में विवादित भूमि खसरा नम्बर 147,218,353 की खातेदारी सिवाय चक राजकीय दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि विभाजन योग्य नही है विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट ने उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज होने को चुनौती नही दी है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी इस आधार पर खारिज किया है कि जमाबन्दी संवत 2071 से 74 ग्राम जोधपुरा में विवादित भूमि खसरा नम्बर 147,218,353 की खातेदारी सिवाय चक राजकीय दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि विभाजन योग्य नही है। अपीलांट ने उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज होने को चुनौती नही दी है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत है कि सिवायचक भूमि का अपीलांट का विभाजन का दावा चलने योग्य नही है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का दावा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इस निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलांट उक्त भूमि के सन्दर्भ में सिवाय चक दर्ज होने के तथ्य बाबत नये सिरे से दावा करने हेतु स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर